



72

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.



1. राजेश सिंह
2. धीरेन्द्र सिंह

R-529-II-17

दोनों के पिता बुद्धसेन सिंह निवासी ग्राम गोरहाई तहसील रामनगर जिला सतना म.प्र.निगराकार

रा. प्र. क्र. 10 अ/70/15-16 को
पारा आज दि. 04/2/17 को
सुत

बनाम

फ्लॉक ऑफ कोर्ट 2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. अनुविभागीय अधिकारी रामनगर जिला सतना म.प्र.
2. नागेन्द्र सिंह पिता मदन सिंह निवासी ग्राम गोरहाई तहसील रामनगर जिला सतना म.प्र.गैरनिगराकार

निगरानी बावत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रामनगर के रा.प्र.क्र. 68अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2017 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामनगर के रा.प्र.क्र. 10अ70/15-16 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2016 यथावत रखे जाने बावत।

निर्णयक
दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू डिवीजन
ग्वालियर-2

शारदा प्रभासी (निर्णयक)
कार्यालय महाविभागीय न्यायालय

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.
भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकार राजेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह पिता श्री बुद्धसेन सिंह

(13)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
1.3.17	<p>अवेरक कलि. सी दुपंत सिंह अड्डा / सुचित के प्रकार कागजी हरे</p> <p>C.F 7-4-17</p>	<p>7/4</p> <p>(Signature)</p>
<u>7/4/17</u>	<p>आवेदक अविवाहात्मा. श्री P.M.O पौ हान उपस्थित/ इतकेवाली विवेक किया गया है कि- प्रकार वद प्रथम व्यापार में प्रचलित करने हेतु प्रकार मूलदस्तावेज सहित वापिस किया जावे</p> <p>(Signature)</p>	<p>(Signature)</p> <p>सकाम-या वापस।</p> <p>(Signature)</p>

m